न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 564 / 2022

निर्णय दिनांक :–21.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. उदयलाल पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टॉक राज0
2. प्रेमलाल पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. मोरपाल पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. बदाम पत्नी प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. गोरधन पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टॉक राज0
6. शंकरलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टॉक राज0
7. शिवजीलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. भंवरलाल पुत्र माता गंगा पुत्री भूरा जाति गुर्जर निवासी गेरोटा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
9. छोटूलाल पुत्र माता गंगा पुत्री भूरा जाति गुर्जर निवासी गेरोटा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
10. घीसी देवी पुत्री माता गंगा पुत्री भूरा जाति गुर्जर निवासी गेरोटा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
11. देव पुत्री माता गंगा पुत्री भूरा जाति गुर्जर निवासी गेरोटा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 4 खसरा नम्बर 184 रकबा 0.68 है0, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.36है0, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 312 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 43 रकबा 1.39 है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.43 है0, खसरा मम्बर 99 रकबा 1.59 है0, भूमि वाके ग्राम मुगलानी मे स्थित है। उक्त आराजी मे सम्वत 2062–2065 की जमाबदीं मे नुरका देवी पत्नी भूरा व सोहनी पुत्री भूरा का भी नाम अंकित था इस कारण

21.4.25

प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व प्रार्थी संख्या 8 ता 11 की माता गंगा पुत्री भूरा तथा नुरका पत्नी भूरा व सोहनी पुत्री भूरा का हिस्सा 6/7 तथा प्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 का हिस्सा 1/7 अंकित था। सभी प्रार्थीगण स्व0 भूरा के वारिसान है। वर्तमान मे खातेदार गंगा पुत्री भूरा का भी निधन हो चुका है एवं प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 गंगा के विधिक वारिसान है। नुरका देवी पत्नी भूरा व सोहनी देवी पुत्री भूरा की मृत्यु के पश्चात उनका फोती नामातंकरण संख्या 75 दिनांक 06.01.2006 खोला गया जिसमे नुरका देवी व सोहनी देवी का नाम हटाने की स्वीकृति हुयी परन्तु उसके पश्चात सम्वत 2066 से 2069 की जमाबंदी बनाते समय लिपिकीय भूलवश राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 तथा प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 की माता गंगादेवी का हिस्सा 6/7 ही पुनः अंकित कर दिया गया तथा प्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 का हिस्सा 1/7 पुनः अंकित कर दिया गया जबकि मृतक नूरका देवी व सोहनी देवी के सभी प्रार्थीगण विधिक वारिसान थे इस कारण प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 की माता का हिस्सा 4/5 व प्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 का हिस्सा 1/5 अंकित होना चाहिये था जो एक लिपिकीय भूलवश हिस्सा अंकित करने मे गलती हुयी है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। खसरा नम्बर 308 रकबा 0.05 है0, वाके ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अन्य खातेदारो का 1/2 हिस्सा है जिनके खिलाफ कोई रिलीफ नही होने के कारण उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त आराजी मे सम्वत 2062–2065 की जमाबदीं मे नुरका देवी पत्नी भूरा का भी नाम अंकित था इस कारण प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 की माता गंगा पुत्री भूरा तथा नुरका पत्नी भूरा का हिस्सा 5/12 अंकित था तथा प्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 का हिस्सा 1/12 अंकित था। सभी प्रार्थीगण स्व0 भूरा के वारिसान है। वर्तमान मे खातेदार गंगा पुत्री भूरा का भी निधन हो चुका है एवं प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 गंगा के विधिक वारिसान है। नुरका देवी पत्नी भूरा की मृत्यु के पश्चात उनका फोती नामातंकरण संख्या 75 दिनांक 06.01.2006 खोला गया जिसमे नुरका देवी का नाम हटाने की स्वीकृति हुयी परन्तु उसके पश्चात सम्वत 2066 से 2069 की जमाबंदी बनाते समय लिपिकीय भूलवश राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 तथा प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 की माता गंगादेवी का हिस्सा 5/12 ही पुनः अंकित कर दिया गया तथा प्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 का हिस्सा 1/12 पुनः अंकित कर दिया गया जबकि मृतक नूरका देवी के सभी प्रार्थीगण विधिक वारिसान थे इस कारण प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 की माता गंगा का हिस्सा 4/10 व प्रार्थीगण संख्या 3 ता 7 का हिस्सा 1/10 अंकित होना चाहिये था जो एक लिपिकीय भूलवश हिस्सा अंकित करने मे गलती हुयी है जिसे दुरुस्त किया जाना न्याहित मे आवश्यक है। वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 4 एंव प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 1 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 मे प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 मे प्रत्येक का 1/20 हिस्सा तथा प्रार्थीगण

21.4.25

संख्या 4 ता 7 मे प्रत्येक का 1/20 हिस्सा अंकित होना चाहिये था जिसे दुरुस्त कर हिस्सा उसी अनुरुप इन्द्राज दिये जाने का आदेश दिया जाना न्याहित मे आवश्यक है। वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 3 एंव प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 3 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 प्रत्येक का 1/40 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 मे प्रत्येक का 1/40 हिस्सा अंकित होना चाहिये था जिसे दुरुस्त कर हिस्सा उसी अनुरुप इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाना न्याहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल जमाबंदी ग्राम मुगलानी तहसील दूनी जिला टौंक राज0 के हाल खाता संख्या 4 एंव प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 1 में वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण का हिस्सा दुरुस्त किया जाकर प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 मे प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 मे प्रत्येक का 1/20 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 में प्रत्येक का 1/20 हिस्सा अंकित किये जाने एंव ग्राम मुगलानी के हाल खाता संख्या 3 एंव प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 3 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 प्रत्येक का 1/40 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 मे प्रत्येक का 1/40 हिस्सा अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार हैः—चरण संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है, अन्य स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 2 अस्वीकार है। वादीगण स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 3 अस्वीकार है। वादीगण स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या42 अस्वीकार है। वादीगण स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 5 अस्वीकार है। वादीगण स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 6 अस्वीकार है। वादीगण स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 7 अस्वीकार है। वादीगण स्वयं सिद्ध करे।

नोटः—प्रमाणित सजरा एवं दस्तावेजो के अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश न कर वाद पेश करना चाहिए था।

तहसीलदार दूनी ने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः—ग्राम मुगलानी की जमाबंदी संवत 2058—61 संख्या 57 दिनांक 8.4.2002 को विरासत से मृतक भूरा पुत्र नारायण जाति गुर्जर के बजाय उदय लाल प्रेमलाल मोरपाल पुत्र भूराराम गंगा सोनी पुत्रियां भूराराम नूरका देवी पत्नी भूराराम हिस्सा 6/7 गोरधन, शिवजीलाल, शंकरलाल पुत्र प्रहलाद, बदाम देवी पत्नी प्रहलाद किस्सा 1/7 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार के पक्ष में स्वीकृत कर दर्ज रिकार्ड किया गया। ग्राम मुगलानी नामा. संख्या 72 दिनांक 5.10.2005 विरासत से मृतक भेरिया पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 के बजाय उदयलाल, प्रेमलाल, मोरपाल पुत्र गंगा पुत्री व नूरका देवी पत्नी भूरा हि. 5/12 व गोरधन, शिवजीलाल, शंकरलाल पुत्र बदाम देवी पत्नी प्रहलाद हिस्सा 1/12 कोम गुर्जर सा. देह खातेदार के पक्ष

21.4.25

स्वीकार किया गया। ग्राम मुगलानी जमाबंदी संवत 2062–65 के खाता संख्या 2 में जरिये नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 6.01.2006 विरासत से मृतका सोहनी पुत्री भूरा व नूरका देवी पत्नी भूरा के बजाय उदयलाल, प्रेमलाल, मोरपाल पुत्र भूराराम गंगा पुत्री भूराराम जाति गुर्जर के पक्ष में दर्ज कर स्वीकृत किया गया। ग्राम मुगलानी जमाबंदी संवत 2066–69 में उपरोक्त नामांतकरण के अमल अमल दरामद फलस्वरूप खाता संख्या 4 में उदयलाल, प्रेमलाल, मोरपाल पुत्र गंगा पुत्री भूराराम हिस्सा 6/7 गोरधन, शिवजीलाल, शंकर लाल पुत्र प्रहलाद व बदाम देवी पत्नी स्व. प्रहलाद हि0 1/7 कोम गुर्जर साकिन देह खातेदार राहिन गोरधन, शिवजीलाल शंकरलाल पुत्र प्रहलाद का हिस्सा अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धुंवाकला के नाम दर्ज रिकार्ड किया गया तथा खाता संख्या 5 में उदयलाल, प्रेमलाल, मोरपाल पुत्र गंगा पुत्री भूरा हिस्सा 5/12 गोरधन, शिवजीलाल, शंकरलाल पुत्र बदाम देवी पत्नी प्रहलाद हि0 1/12 दर्ज रिकॉर्ड किया गया। ग्राम मुगलानी जमाबंदी संवत 2070 –73 खाता संख्या 4 में जरिये नामां. संख्या 140 दिनांक 17.4.2015 से प्रेमलाल पुत्र भूराराम हिस्सा 3/14 रहन दर्ज रिकॉर्ड किया गया एवं नामां. संख्या 188 दिनांक 9.04.19 से मोरपाल पुत्र भूराराम हिस्सा 3/14 जाति गुर्जर राहीन म बी आर के जे बी स्वीकृत किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–77 वर्ष 2020 से स्थाई के खाता संख्या 4 में जरिये नामा. संख्या 229 दिनांक 24.12.2022 विरासत से गंगा पुत्री भूराराम हि. 3/14 जाति गुर्जर के बजाय भंवरलाल, छोटूलाल पुत्र घीसी देवी पुत्रियां माता गंगा हिस्सा 3/14 जाति गुर्जर तथा नामांतरण संख्या 237 दिनांक 10.5.2023 विरासत से मृतक प्रेमलाल पुत्र भूराराम हि0 3/14 के बजाय कजोड़ पुत्र विमला पुत्री गलकू देवी पत्नी स्व0 प्रेमलाल हिस्सा 3/14 राहिन बी.ओ.बी दूनी दर्ज रिकार्ड किया गया। ग्राम मुगलानी की जमाबंदी संवत 2074–77 वर्ष 2020 से स्थाई के खाता संख्या 03 में जरिये नामां. संख्या 229 दिनांक 24.12 2022 विरासत से मृतक का गंगा पुत्री भूरा हिस्सा 5 /48 के बजाय छोटूलाल, भंवरलाल पुत्र घीसी देवी पुत्रियां माता गंगा हिस्सा 5/ 48 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज किया गया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि ग्राम मुगलानी के नामां. संख्या 75 दिनांक 6.01.2006 में वादी संख्या 4 ता 7 गोरधन, शिवजीलाल शंकरलाल पुत्र बदाम देवी पत्नी प्रहलाद जाति गुर्जर के पक्ष में रिकॉर्ड में विरासत का नामांकन दर्ज होने का अंकन नहीं है जबकि प्रार्थीगण 04 से 07 भी मृतका नूरका देवी पत्नी भूराराम एवं सोहनी पुत्री भूराराम के वारिस थे । अतः वर्तमान जमाबंदी में वादी संख्या 1 से 11 का शुद्धि हेतु प्रस्तावित हिस्सा निम्नानुसार है :–

क.सं.	नाम वादी	खाता संख्या 3		खाता संख्या 4	
		वर्तमान हिस्सा	शुद्धि हेतु प्रस्तावित हिस्सा	वर्तमान हिस्सा	शुद्धि हेतु प्रस्तावित हिस्सा

27.4.25

1.	उदयलाल पुत्र भूरा जाति गुर्जर	5/48	1/10	3/14	1/5
2.	प्रेमलाल पुत्र भूरा जाति गुर्जर	5/48	1/10	3/14	1/5
3.	मोरपाल पुत्र भूरा जाति गुर्जर	5/48	1/10	3/14	1/5
4.	बदाम पत्नी प्रहलाद गुर्जर	1/48	1/40	1/28	1/20
5.	गोरधन पुत्र प्रहलाद गुर्जर	1/48	1/40	1/28	1/20
6.	शंकरलाल पुत्र प्रहलाद गुर्जर	1/48	1/40	1/28	1/20
7.	शिवजीलाल पुत्र प्रहलाद गुर्जर	1/48	1/40	1/28	1/20
8.	भंवरलाल पुत्र माता गंगा गुर्जर	5/192	1/40	3/56	1/20
9.	छोटूलाल पुत्र माता गंगा गुर्जर	5/192	1/40	3/56	1/20
10.	घीसी देवी पुत्री माता गंगा गुर्जर	5/192	1/40	3/56	1/20
11.	देव पुत्री माता गंगा गुर्जर	5/192	1/40	3/56	1/20

वादी संख्या 2 के वारिस कजोड़ पुत्र विमला पुत्री व गलकू देवी पत्नी स्व. प्रेमलाल एवं वादी संख्या 03 मोरपाल पुत्र भूराराम ने कमशः से बैंक आफ बडौदा शाखा दूनी एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दूनी में अपने हिस्से से अधिक पर बैंक से रहन (ऋण) लिया हुआ है। बीओबी शाखा दूनी को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत सेटलमेंट के दोरान हुई लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने का प्रावधान है। प्रकरण में त्रुटि नामांतकरण खोलते समय दिनांक 06.01.2006 को हुई है जिसको धारा एल.आर. एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2062-65 के खाता संख्या 2 में अंकित नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 06.01.06 व खाता संख्या 42 में अंकित

21.4.25

नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 05.01.05, जमाबन्दी सम्वत 2066—69 खाता संख्या 4 व खाता संख्या 5 व जमाबन्दी सम्वत 2074—77 वाके ग्राम मुगलानी तहसील दूनी में त्रुटियां प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार ही है।

उक्त त्रुटियां सेटलमेंट के बाद नामान्तकरण खोलते समय जमाबन्दी सम्वत 2066—69 बनाते समय हुई है जबकि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत भू—प्रबन्ध के दौरान हुई लिपिकीय त्रुटियों को ही शुद्ध किया जा सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के प्रावधानो के अन्तर्गत नहीं आने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 21.04.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली